मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः 29.03.2024

नीव खुदाई में खजाना निकलने के नाम पर ठगी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ठगी की अवशेष धनराशि ₹ 25000/- नगद व 07 अदद पीली धातु की सिल्ली बरामद —

थाना चिल्ह, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 28.03.2024 को वादी दिलीप कुमार यादव पुत्र राजेश यादव निवासी मठिया थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध नींव की खुदाई से खजाना प्राप्त होने व डरा-धमका कर पैसे की वसुली कर ₹ 4.52 लाख की ठगी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चिल्ह पर मु0अ0सं0-55/2024 धारा 386,420, 406 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनन्दन' द्वारा उक्त ठगी की घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना प्रभारी चिल्ह को उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांकः 29.03.2024 को थाना चिल्ह पुलिस टीम द्वारा चिल्ह पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में भौतिक एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित कर घटना से सम्बन्धित 03 शातिर अभियुक्त 1.जगदीश यादव पुत्र लल्लन यादव निवासी ग्राम गडगेडी थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर , 2.चन्द्रिका प्रसाद पुत्र जोखन निवासी माधोपुर हरिजन बस्ती थाना रोहनिया जनपद वाराणसी, 3.महमूद उर्फ बुलबुल पुत्र हबीब निवासी दलापट्टी थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ठगी का अवशेष धनराशि ₹ 25000/- नगद व 07 अदद पीली धातु की सिल्ली को बरामद किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना चिल्ह पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों का एक गैंग है जो अपने सदस्यों के भौतिक लाभ हेतु धोखाधड़ी/फ्राड/ठगी की घटना को अंजाम देते है। जिसके लिए घर की नींव की खुदाई में सोने की सिल्ली (खजाना) प्राप्त होने का लालच देकर डरा-धमका कर धोखे से पैसे की ठगी करते है तथा प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लेते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.जगदीश यादव पुत्र लल्लन यादव निवासी ग्राम गडगेडी थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-47 वर्ष।
2.चन्द्रिका प्रसाद पुत्र जोखन निवासी माधोपुर हरिजन बस्ती थाना रोहनिया जनपद वाराणसी, उम्र करीब-46 वर्ष।
3.महमूद उर्फ बुलबुल पुत्र हबीब निवासी दलापट्टी थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-45 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

1. मु0अ0सं0-55/2024 धारा 386,420 , 406 भादवि थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर।

बरामदगी विवरण —

- ₹ 25000/- नगद.
- 07 अदद पीली धातु की सिल्ली

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

थाना चिल्ह अन्तर्गत कमासिन मोड़ के पास से, दिनांकः29.03.2024 को समय 07.35 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष चिल्ह रीता यादव थाना चिल्ह मय पुलिस टीम।
उप-निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना चिल्ह मय पुलिस टीम।